राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

पत्रांकः एफ 4 (1) आ.प्र. एवं स.आ./पेयजल/2011/3551-70 जयपुर,दिनांकः 18-03-2011

जिला कलेक्टर,
बांसवाड़ा, डूंगरपुर।

विषयः– अभाव संवत 2067 में अकाल प्रभावित शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आपातकालीन पेयजल उपलब्ध कराने बाबत् दिशा निर्देश।

महोदय,

राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्र. एफ.1(1)(4)आ.प्र.सआ/सामान्य/2010/353–68 दिनांक 15.1.2011 से आपके जिले को अभावग्रस्त घोषित किया गया है। अतः जिले में अप्रेल, 2011 से आपातकालीन पेयजल परिवहन आपदा राहत निधि से कराने की व्यवस्था के लिए आपको अधिकृत किया जाता है। इस हेतु निम्न दिशा –निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाए:–

1. जिले के आबादी क्षेत्रों में जहॉ नजदीक में पेयजल का स्त्रोत उपलब्ध नहीं है या पेयजल का स्त्रोत बाढ़/अकाल जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण उपयोगी नहीं रह गया है एवं पेयजल की व्यवस्था करना नितान्त आवश्यक है, वहां सर्वप्रथम यह प्रयास किये जायें कि ऐसे क्षेत्रों में उपलब्ध स्वयं सेवी संस्था/दान दाताओं के सहयोग से पेयजल परिवहन व्यवस्था कराई जाकर, पेयजल की आपूर्ति की जाए।

2 स्वयं सेवी संस्थाओं/दान दाताओं के सहयोग की सम्भावना यदि कम/नगण्य हो तो निम्नानुसार व्यवस्था की जाये

2.1 ऐसे गांव जहाँ अनावृष्टि या अतिवृष्टि के कारण पेयजल स्त्रोत उपयोगी नहीं रह गये हैं तथा 1.6 किमी की परिधि में कोई भी पेयजल स्त्रोत उपलब्ध नहीं रह गया है, वहॉ संकट की अवधि में पेयजल परिवहन की व्यवस्था की जाए।

2.2 ऐसे गांव, जहॉ पेयजल योजनाएं विद्यमान है परन्तु प्राकृतिक आपदा के कारण पेयजल के अभाव की स्थिति पैदा हो गई है वहॅा भी पेयजल के परिवहन की व्यवस्था अभाव अवधि में की जाए।

3 यदि पेयजल व्यवस्था हेतु टैंकर्स/ट्रेक्टर ट्रोली/ऊंट गाडी/बैल गाडी आदि किराये पर लेने की आवश्यकता पड़ती है तो इस हेतु निम्न समिति से दरों का निर्धारण आगामी बिन्दुओं में दिये गये प्रावधान अनुसार कराया जाए

अ.	जिला कलेक्टर अथवा उनके प्रतिनिधि जो अति. जिला कलेक्टर स्तर से कम के न हो	अध्यक्ष
ब.	अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वा. अभि.विभाग का प्रतिनिधि जो अधिशासी अभियन्ता से कम का न हो।	सदस्य
स.	कोषाधिकारी अथवा उसका प्रतिनिधि अथवा लेखाधिकारी कलेक्टर कार्यालय	सदस्य

4 जिन समस्याग्रस्त गॉवों में पेयजल परिवहन हेतु किराये के टेंकर/ बैलगाडी की व्यवस्था की जानी है, वहॉ यह सुनिश्चित किया जाए कि इस कार्य हेतु नियुक्त व्यक्ति एवं साधन यथा सम्भव स्थानीय हो।

5 ऐसे जिले, जहॉ पेयजल व्यवस्था हेतु राज्य सरकार द्वारा टैंकर्स उपलब्ध कराये हुये है, जिला कलेक्टर द्वारा ऐसे टैंकर्स हेतु अधिशेष घोषित वाहन चालक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को चालक एवं खलासी के पदों पर लगाया जाकर कार्य सम्पादित करवाया जाए। यदि उक्त श्रेणी के व्यक्ति उपलब्ध नहीं हो तो भूतपूर्व सर्विसमेन अथवा सेवा निवृत वाहन चालक एवं खलासियों को

वित्त विभाग/आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग के नवीनतम आदेश द्वारा स्वीकृत दरों के अनुसार रख लिये जाए।

6 सभी समस्याग्रस्त गांवों/ढाणियों में पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सम्भावित समस्याग्रस्त गांवों के लिए पेयजल परिवहन की दरें पूर्व में ही निर्धारित कर ली जावे। दरों का निर्धारण पूर्व वर्षों में निर्धारित दरों, मूल्य वृद्धि, बाजार की प्रचलित दरों एवं न्यूनतम मजदूरी को ध्यान में रखते हुए कमेटी द्वारा निर्धारित की जावे। दरों का निर्धारण भिन्न भिन्न वाहनों यथा टैंकर/टंकी की पानी की क्षमता के अनुसार पक्के/कच्चे रास्ते (Route) की अलग–अलग की जावे एवं पेयजल स्त्रोत से वितरण स्थल (Destination) तक का रूट चार्ट सम्बन्धित पंचायत समिति के कनिष्ठ अभियन्ता/सहायक अभियन्ता से अनुमोदन कराया जावे, जिसके अनुसार ही भुगतान कराया जावे।

7. जिला कलक्टर के स्तर पर कमेटी द्वारा दरों के निर्धारण उपरान्त पेयजल परिवहन की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत को दे दी जायेगी। ग्राम पंचायतें इन निर्धारित दरों पर टैंकर किराये पर लेकर पेयजल की आपूर्ति गांव में कर सकती है। पेयजल परिवहन के बिलों का सत्यापन ग्राम पंचायत स्तर पर पाक्षिक रूप से करने के उपरान्त तहसील स्तर से इसका भुगतान किया जाए। तहसीलदार द्वारा इन बिलों के प्राप्त होने के पश्चात इनका भुगतान एक सप्ताह के भीतर कराया जावेगा।

8 (i) शहरी एवं नगरपालिका क्षेत्रों में पेयजल परिवहन का कार्य पीएचईडी के माध्यम से कराया जायेगा। इसके लिये जलदाय विभाग, जिला प्रशासन के निर्देशानुसार, टैंकर आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करवायेगा। शहरी क्षेत्र में दरों का निर्धारण बिन्दु संख्या 3 में अंकित समिति द्वारा वित्तीय नियमों के प्रावधानुसार टेण्डर प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा।

(ii) टैंकरों की दरों को न्यूनतम स्तर पर लाने के लिए पूर्व के पांच सालों में कम से कम दर को या जिला प्रशासन उससे कम दर को आरक्षित कर, रजिस्टर्ड ठेकेदारों तथा अपंजिबद्व ठेकेदार या पार्टियों को सामुहिक रूप से दर दिये जाने का मौका देवें तथा उस दर से कम दर वाले को या उसी दर पर अन्य लोगों को ठेका आवश्यकतानुसार दिया जावे।

9 पेयजल का वितरण सही हो, इसके लिए जहां से पानी रवाना हो, वहां अस्थाई चैक पोस्ट या उस स्त्रोत से टैंकर मालिक को तीन कूपन जारी किये जाए, जिसमें पानी की मात्रा, टैंकर रवाना होने का समय, दिनांक तथा टैंकर ले जाने वाले का नाम एवं टैंकर नम्बर दर्ज किया जाए, उसकी एक कार्यालय प्रति होगी तथा दो प्रति टैंकर चलाने वाले को दी जाए। टैंकर चालक जिस गांव/शहरी क्षेत्र में जाए, उस गांव/शहरी क्षेत्र के दो आदमियों के तथा एक महिला के हस्ताक्षर करायें। इस पैनल के व्यक्तियों के नाम गांवों में ग्राम पंचायत एवं शहरी क्षेत्रों में स्थानीय निकाय द्वारा निर्धारित किया जाए। इस रसीद शुदा कूपन को टैंकर मालिक द्वारा टैंकरों के बिल के साथ प्रस्तुत किया जाए तथा उस कूपन की ऑफिस की प्रति से मिलान कर भुगतान किया जाए। कूपन जिला कलेक्टर द्वारा मुद्रित कराये जाकर सम्बन्धित कार्यकारी अधिकरण ग्राम पंचायत/जलदाय विभाग को उपलब्ध कराये जावेंगे। कूपनों पर क्रमांक(सीरियल नम्बर) मुद्रित कराये जायेंगे। जिला कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये कूपन ही पेयजल परिवहन हेतु मान्य होंगे। मुद्रित एवं वितरित कूपनों का लेखा जिला कार्यालय एवं सम्बन्धित कार्यकारी अधिकरण द्वारा संधारित किया जायेगा।

10 पेयजल विभाग की स्कीमों के टैंकरों का भुगतान भी राहत मद से कलक्टर द्वारा अनुमत किया जा सकता है। जलदाय विभाग की स्कीम में यदि अचानक पेयजल हेतु टैंकरों की व्यवस्था की आवश्यकता प्रतीत होती है तो जलदाय विभाग के अधिकारी द्वारा जिला कलक्टर को सूचित कर तदानुसार ही पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करावें।

11 जो गांव जलदाय विभाग से जुडे हुए नहीं है और गांवों में पानी की समस्या है तो उन गांवों की व्यवस्था भी जिला कलक्टर द्वारा की जाए।

12 पेयजल स्त्रोत के रूप में यदि जिला कलक्टरों को किसी निजी कुए या टयूबवैल की आवश्यकता प्रतीत होती है तो उसके लिए किराये का निर्धारण कर अधिग्रहण कर लिया जाए।

13 निर्धारित दरों पर कोई टेण्डरकर्ता पेयजल परिवहन नहीं करता है तथा जिला कलक्टर को अचानक आवश्यकता पड़ती है तो बिन्दु संख्या 3 में गठित कमेटी से नई दरें तय करवा ली जाए। ऐसे टेण्डर दाता की जमानत राशि जब्त कर ली जाए एवं उसे हमेशा के लिए ब्लेक लिस्ट किया जाए।

14 पेयजल उपलब्धता की स्थिति की समीक्षा साप्ताहिक रूप से जिला कलक्टर के स्तर पर की जाए। जिसमें पी.एच.ई.डी, आर.एस.ई.बी., राजस्व विभाग एवं जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को समीक्षा बैठक में शामिल किया जाए।

15 जिला कलेक्टर द्वारा पेयजल के अभाव की स्थिति का निरन्तर आंकलन एवं पेयजल व्यवस्था की नियमित समीक्षा की जाकर, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग को प्रति सप्ताह अवगत कराया जाए।

16. जिला कलक्टर उपखण्ड स्तर पर पेयजल आपूर्ति की समीक्षा हेतु उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में पेयजल समीक्षा समिति के गठन हेतु आदेश जारी करेंगे। जिसका गठन निम्नानुसार किया जाएगा:–

उपखण्ड अधिकारी	अध्यक्ष
सहायक अभियन्ता, जन स्वा.अभि.विभाग	सदस्य सचिव
विकास अधिकारी	सदस्य
तहसीलदार	सदस्य

17. पेयजल परिवहन हेतु स्थान का चयन उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा। कमेटी द्वारा अधिकृत स्थानों पर अनुज्ञेय दिनांक से अनुज्ञेय मात्रा में प्रतिदिन पेयजल परिवहन ग्राम पंचायत/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा करवाया जावेगा। यदि कोई पंचायत प्रशासन के आदेश के बावजूद भी पेयजल परिवहन करवाने में किसी भी कारणवश असमर्थ रहती है तो यह कार्य तहसीलदार/जलदाय विभाग के माध्यम से अनुमोदित दरों पर कराया जावेगा।

18. अभावग्रस्त क्षेत्र (ग्रामीण एवं शहरी) के संबंधित कनिष्ठ अभियन्ता, ग्राम प्रभारी/ पटवारी, ग्राम सेवक पदेन सचिव, सरपंच, स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि तथा मनोनीत अधिकारी/कर्मचारी के प्रमाणीकरण (प्रमाण पत्र के प्रारूप की प्रति संलग्न है) के पश्चात् ही बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाना सुनिश्चित करावें।

उपरोक्त निर्देशों के अतिरिक्त विस्तृत निर्देश सूखा प्रबन्धन संहिता में दिये गये प्रावधानों के अनुसार पेयजल परिवहन का संचालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

18/4/11

शासन सचिव

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राज0, जयपुर।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज0, जयपुर।
3. विशिष्ठ सहायक, मन्त्री आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज0, जयपुर
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राज0, जयपुर
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (विकास) राज0, जयपुर
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जन.स्वा.अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
8. निजी सचिव, शासन सचिव, आ.प्र.एवं सहायता विभाग, जयपुर
9 संभागीय आयुक्त, उदयपुर।
10. मुख्य लेखाधिकारी, आ.प्र.एवं सहायता विभाग, जयपुर।
11. समस्त अधिकारीगण, आ.प्र. एवं सहायता विभाग, जयपुर।

मुकेश जी.

शासन उप सचिव

पेयजल वितरण प्रमाण पत्र
(ग्रामीण क्षेत्र हेतु)

यह प्रमाणित किया जाता है कि टेंकर रजिस्ट्रेशन नंबर ..... चालक श्री .... दिनांक ..... से दिनांक ..... तक ग्राम ..... पंचायत .....तहसील ..... जिला ..... में ..... कुल फेरे लगाकर ..... किलो लीटर पेयजल वितरण किया गया।

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव	पटवारी	सरपंच	कनिष्ठ अभियन्ता जन स्वा.अभि.वि.

पेयजल वितरण प्रमाण पत्र
(शहरी क्षेत्र हेतु)

यह प्रमाणित किया जाता है कि टेंकर रजिस्ट्रेशन नंबर ..... के चालक श्री ....द्वारा दिनांक ..... से दिनांक ..... तक .....शहर के वार्ड संख्या ..... में कुल..... फेरे लगाकर ..... किलो लीटर पेयजल वितरण किया गया।

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
नगरपालिका / नगरपरिषद / नगर निगम अथवा नगर सुधार न्यास के प्रतिनिधि(संबंधित शहरी क्षेत्र अनुसार)	जिला कलक्टर द्वारा वार्ड हेतु मनोनीत अधिकारी / कर्मचारी	कनिष्ठ अभियन्ता जन स्वा.अभि.वि.